संख्या-37/2025/ई-3724229/60-3-2025-सी-1705947

प्रेषक,

सुधा वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2025

विषय:- उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष में अपराध से पीड़िताओं के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु।

महोदया,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-650-51/म0क0निदे0-लेखा/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 17.10.2025 एवं पत्र संख्या-335/निदे0म0क0/सम्मान कोष/ 2025-26, दिनांक 14.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-049 के राजस्व पक्ष में व्यवस्थित लेखा संख्या-2235021020420-कन्या सुमंगला योजना की बचत से महिला सम्मान कोष हेतु लेखा संख्या-2235021031042-अन्य व्यय मद में रू0-7000.00 लाख (रूपये सत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग से कराने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-049 के राजस्व पक्ष में व्यवस्थित लेखा संख्या-2235021020420-कन्या सुमंगला योजना की बचत से महिला सम्मान कोष हेतु लेखा संख्या-2235021031042-अन्य व्यय मद में रू0-7000.00 लाख (रूपये सत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/ दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(14) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-7000.00 लाख (रूपये सत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2235021031042 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष **मानक मद** 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-158 दिनाँक 01.12.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2025/ई-3724229 (1)/60-3-2025-सी-1705947, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, योजना भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- योजना अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।